भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं. 28/19/2000/एम.एस./ **दिनांक:25 अगस्त, 2003**

परिपत्र सं.-3
(2003-2004 श्रृंखला)
विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)।

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है,ने दिनांक 08/5/2003 एवं दिनांक 14/5/2003 पत्र सं. आईडीबीआई एच.ओ.टीयूएफएस (6) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग गैर लघु उद्योग के लिए निम्नलिखित बैंको का सहयोजन किया है ।

(i) इलाहाबाद बैंक
(ii) श्यामराव विट्ठल सहकारी बैंक लि.
(iii) मुंबई मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लि.

(ख) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सीडबी) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 14/7/2003 के पत्र सं. डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग लघु उद्योग के लिए सूरत डिस्ट्रिक्ट को. ऑप. बैंक लि. को सहयोजित किया ।

4. मुंबई में दिनांक 6 अगस्त, 2003 को तकनीकी सहाकार एवं देखरेख समिति (टीएएमसी) की संपन्न 21 वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(i) ऊन धुनने के लिए मशीनरी का समावेश ।

ऊन धुनने के लिए बालिंग प्रेस को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर जी. आर. के परिशिष्ट-B (b) में निम्नानुसार समावेश किया गया ।

परिशिष्ट- B (b) 13- ऊन धुनने के लिए बालिंग प्रेस

(ii) कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॅप (कॉलर/कफ) फ्लॅट वेड निटींग मशीन का समावेश ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट-डी-1 तथा परिशिष्ट-ई के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॅप (कॉलर/कफ) फ्लॅट बेंड निटिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट-डी-1(सी)8 कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॅप (कॉलर/कफ) फ्लॅट बेड निटिंग मशीन
2. परिशिष्ट-ई (ए)68 कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॅप (कॉलर/कफ) फ्लॅट बेड निटिंग मशीन

(iii) वॅक कोटींग लाइन्स का समावेश ।

कारपेट बॅकींग, नॉन वुवन टेक्सटाइल्स तथा तकनीकी टेक्सटाइल्स के लिए बॅक कोटींग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट-डी-2 के अन्तर्गत निम्नानुसार समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट-डी2-(डी)9 बॅक कोटींग लाइन्स
2. परिशिष्ट-डी2-(एफ) नॉन वुवन सी 16-बॅक कोटींग लाइन्स

(Iv) रेडिमेड गारमेन्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त मशीनरी ।

कप सीमर का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट-ई (ए) के अंतर्गत निम्नानुसार समावेश किया गया ।

परिशिष्ट-ई (ए)69- कप सीमर

(v) इंडस्ट्रियल/टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए डिपींग यूनिट का समावेश ।

डिपींग यूनीट का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर.के परिशिष्ट-एफ-1 एवं एपु-2 के अंतर्गत निम्नानुसार समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट-एफ-1(बी) (।।।)18-डिपींग यूनिट
2. परिशिष्ट-एफ-2 (।।।)11-डिपींग यूनिट

(v I) उच्च गति की नई गोलाकर बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति के लिए प्रतिबन्ध को हटाना ।

उच्च गति की नई गोलाकर बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति के प्रतिबन्ध को हटाया गया है तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर जी. आर.परिशिष्ट-डी-1 सी-1 के अंतर्गत प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया :-

परिशिष्ट-डी-1-सी-1 उच्च गति की नई गोलाकार बुनाई मशीन ।

अनुमेय पुरानी मरम्मत की गई गोलाकार बुनाई मशीन की न्यूनतम गति 20 चक्कर प्रति मिनट हो ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी. आर में गोलाकार बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति का प्रतिबन्ध दिनांक 21/01/2003 से प्रभावी होगा । यह संशोधन दिनाक 21/01/2003 से प्रभावी होगा ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक